

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 712/2022  
अनवान : -

1. भानीराम पुत्र मनफूल जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. श्योकरण पुत्र मनफूल जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. श्रीचन्द
2. सगरमल
3. धर्म
4. सन्तरा
5. सन्तरो
6. सरबती

पि० मनफूल जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर  
जिला हनुमानगढ़।

7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान  
काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी  
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 09/02/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 के खाता स० 263/228 की कुल 2.1910हैक भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण स० 1 ता 6 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा तथा रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के खाता स० 341/341 के खसरा न० 347/1 की 1.9900है० भूमि वादी के पिता मनफूल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति-रिवाज से शासित है। उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स० 3 ता 6 जो कि वादीगण की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्स नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग मुताबिक बाहमी बंटवारा रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स० 341/341 के खसरा न० 347/1 की 1.9900है० भूमि में से पूर्व की तरफ 0.4975है० भूमि पर प्रतिवादी स० 1 काबिज है तथा प्रतिवादी स० 1 क चिपते पश्चिम में 0.4925है० भूमि पर वादी स० 2 काबिज है व वादी स० 2 के चिपते पश्चिम में 0.4975है० भूमि पर प्रतिवादी स० 2 काबिज है एवं प्रतिवादी स० 2 के चिपते पश्चिम में 0.4975है० भूमि पर वादी स० 1 काबिज है तथा रोही मौजा 7 बारानी

तहसील नोहर के खाता सं० 263/228 की कुल 2.1910 है० भूमि में से प० न० 338/412(270) के किला न० 17/1/1 की 0.1152 है० व 24/1/1 की 0.1152 है० कुल 0.2304 है० प० न० 390/412(272) के किला न० 12/2 की 0.1058 है०, 19/2 की 0.1058 है०, 22/2 की 0.1058 है० कुल 0.3175 है० भूमि पर वादी सं० 2 काबिज है तथा 388/412(270) किला न० 17/1/1 की 0.0928 है०, 24/1/2 की 0.0928 है०, 18/1 की 0.02245 है०, 23/1 की 0.02245 है०, कुल 0.2305 है० भूमि व प० न० 390/412(272) किला न० 13/1 की 0.0900 है०, 18/2 की 0.0900 है०, 23/2 की 0.0770 है० कुल 0.2570 है० भूमि पर वादी सं० 1 काबिज है तथा प० न० 388/412(270) किला न० 18/2 की 0.115275 है०, 23/22 की 0.115275 है० कुल 0.2305 है० भूमि व प० न० 390/412(272) के किला न० 12/3 की 0.1058 है०, 19/3 की 0.1058 है०, 22/3 की 0.1058 है० कुल 0.3175 है० भूमि पर प्रतिवादी सं० 2 काबिज है व प० न० 388/412(272) के किला न० 18/3 की 0.115275 है०, 23/3 की 0.115275 है०, कुल 0.2305 है० व प० न० 390/412(272) के किला न० 11/1 की 0.840 है०, 12/4 की 0.0214 है०, 19/4 की 0.0214 है०, 20/1 की 0.0840 है०, 21/1 की 0.0850 है०, 22/4 की 0.0214 है० कुल 0.3172 है० भूमि पर प्रतिवादी सं० 1 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण सं० 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं० 7 राजपेरोकार ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जो कि शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदीया, शपथ पत्र बाबत सदस्य, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक मनफुल आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

11

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी स० 1 ता 6 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी को घरेलु जरूरतों के हिसाब से केसीसी आदि की आवश्यकता रहती है जिसके लिए अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी स० 1 ता 6 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उक्त वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक मनफूल के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादीगण का कथन है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 341/341 की कुल 1.9900 हैक्ट भूमि वादीगण के पिता के नाम दर्ज है प्रतिवादी सं० 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी स० 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स० 1 ता 6 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी स० 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स० 341/341 के खसरा न० 347/1 की 1.9900 है० भूमि मनफूल के नाम दर्ज है, में मृतक मनफूल का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि में से पूर्व की तरफ 0.4975 है० भूमि का प्रतिवादी स० 1 को तथा प्रतिवादी स० 1 के चिपते पश्चिम में 0.4925 है० भूमि पर वादी स० 2 को व वादी स० 2 के चिपते पश्चिम में 0.4975 है० भूमि पर प्रतिवादी स० 2 को एवं प्रतिवादी स० 2 के चिपते पश्चिम में 0.4975 है० भूमि का वादी स० 1 को तथा रोही मौजा 7 बरानी तहसील नोहर के खाता स० 263/228 की कुल 2.1910 है० भूमि में से प० न० 338/412(270) के किला न० 17/1/1 की 0.1152 है० व 24/1/1 की 0.1152 है० कुल 0.2304 है० प० न० 390/412(272) के किला न० 12/2 की 0.1058 है०, 19/2 की 0.1058 है०, 22/2 की 0.1058 है० कुल 0.3175 है० भूमि का वादी स० 2 को तथा प० न० 388/412(270) किला न० 17/1/1 की 0.0928 है०, 24/1/2 की 0.0928 है०, 18/1 की 0.02245 है०, 23/1 की 0.02245 है०, कुल 0.2305 है० भूमि व प० न० 390/412(272) किला न० 13/1 की 0.0900 है०, 18/2 की 0.0900 है०, 23/2 की 0.0770 है० कुल 0.2570 है० भूमि का वादी स० 1 को तथा प० न० 388/412(270) किला न० 18/2 की 0.115275 है०, 23/2 की 0.115275 है० कुल 0.

2305है0 भूमि व प0न0 390/412(272) के किला न0 12/3 की 0.1058है0, 19/3 की 0.1058है0, 22/3 की 0.1058है0, कुल 0.3175है0 भूमि का प्रतिवादी स0 2 को व प0न0 388/412(270) के किला न0 18/3 की 0.115275है0, 23/3 की 0.115275है0, कुल 0.2305है0 व प0न0 390/412(272) के किला न0 11/1 की 0.840है0, 12/4 की 0.0214है0, 19/4 की 0.0214है0, 20/1 की 0.0840है0, 21/1 की 0.0850है0, 22/4 की 0.0214है0 कुल 0.3172है0 भूमि का प्रतिवादी स0 1 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

al  
(सत्यनारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 712/2022

अनवान : -

1. भानीराम पुत्र मनफूल जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. श्योकरण पुत्र मनफूल जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. श्रीचन्द
  2. सगरमल
  3. धर्मा
  4. सन्तरा
  5. सन्तरो
  6. सरबती
- पि0 मनफूल जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर  
जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण


निर्णय-14/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री मनीराम सरावग की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 341/341 के खसरा न0 347/1 की 1.9900है0 भूमि मनफूल के नाम दर्ज है, में मनफूल का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि में से पूर्व की तरफ 0.4975है0 भूमि का प्रतिवादी स0 1 को तथा प्रतिवादी स0 1 के चिपते पश्चिम में 0.4925है0 भूमि पर वादी स0 2 को व वादी स0 2 के चिपते पश्चिम में 0.4975है0 भूमि पर प्रतिवादी स0 2 को एवं प्रतिवादी स0 2 के चिपते पश्चिम में 0.4975है0 भूमि पर वादी स0 1 को तथा रोही मौजा 7 बरानी तहसील नोहर के खाता स0 263/228 की कुल 2.1910है0 भूमि में से प0न0 388/412(270) के किला न0 17/1/1 की 0.1152है0 व 24/1/1 की 0.1152है0 कुल 0.2304है0. प0न0 390/412(272) के किला न0 12/2 की 0.1058है0, 19/2 की 0.1058है0, 22/2 की 0.1058है0 कुल 0.3175है0 भूमि का वादी स0 2 को तथा प0न0 388/412(270) किला न0 17/1/2 की 0.0928है0, 24/1/2 की 0.0928है0, 18/1 की 0.02245है0, 23/1 की 0.02245है0, कुल 0.2305है0 भूमि व प0न0 390/412(272) किला न0 13/1 की 0.0900है0, 18/2 की 0.0900है0, 23/2 की 0.0770है0 कुल 0.2570है0 भूमि का वादी स0 1 को तथा प0न0 388/412(270) किला न0 18/2 की 0.115275है0, 23/2 की 0.115275है0 कुल 0.2305है0 भूमि व प0न0 390/412(272) के किला न0 12/3 की 0.1058है0, 19/3 की 0.1058है0, 22/3 की 0.1058है0, कुल 0.3175है0 भूमि का प्रतिवादी स0 2 को व प0न0 388/412(270) के किला न0 18/3 की 0.115275है0, 23/3 की 0.115275है0,

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

कुल 0.2305 है० व प० न० 390/412(272) के किला न० 11/1 की 0.840 है०, 12/4 की 0.0214 है०, 19/4 की 0.0214 है०, 20/1 की 0.0840 है०, 21/1 की 0.0850 है०, 22/4 की 0.0214 है० कुल 0.3172 है० भूमि का प्रतिवादी स० 1 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 14/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर